न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 29—तीन/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 20—11—2014 के द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी प्रकरण कमांक 50/11—12

———

नन्हे खां पुत्र बाबू खां मुसलमान समाज
अध्यक्ष निवासी ग्राम निजामपुर तहसील
नरवर जिला शिवपुरी म0प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन

———अनावेदक

.....

श्री आर0 एस0 सेंगर अभिभाषक, आवेदक
श्री बी0 एम0 त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 23/11/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20—11—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2— प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि श्री नन्हें खां पुत्र बाबू खां मुसलमान समाज अध्यक्ष निवासी ग्राम निजामपुर तहसील नरवर जिला शिव्पुरी द्वारा अपर कलेक्टर न्यायालय के प्रकरण कमांक 8/03—04/अ—59 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26.8.04 के विरूद्ध निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदर नरवर में स्थित भूमि सर्वे कमांक 755 बन्दोवस्त सर्वे कमांक 1206 पर कुल रकवा 0.1 है0 पुस्तैनी कब्रिस्तान की भूमि थी उक्त विवादित भूमि सर्वे कमांक पूर्व से ही कब्रिस्तान भूमि के नाम से वैधानिक रूप से दर्ज चला आ रहा है।

उक्त नवीन सर्वे कमांक 1276/1 रकवा 0.81 है0 खसरा प्रति वर्ष 1000–2001 लगायत 04–05 में कुल रकवा 0.81 है0 रहकर दर्ज है। विवादित कब्रिस्तान भूमि का उपयोग मुस्लिम समाज अर्से दराज कई वर्षो से उपयोग करके आज भी मुस्लिम समाज द्वारा हर त्यौहार को अपने पूवर्जो के कब्र मजारो पर फातियां अग़रबत्तियां लगाने भी जाते रहते हैं ओर अपनी रस्म अदा करते चले आ रहे हैं इस कारण विवादित भूमि को किसी अन्य उपयोग में परिवर्तित करना भी इस्लाम सरियत धर्म विधि विधान के पूर्ण विरूद्व हैं अपर कलेक्टर द्वारा उक्त विवादित भूमि को कब्रिस्तान भूमि के बजाये आबादी भूमि के नाम से घोषित करने में कानूनी भूल की है। अपर कलेक्टर ने इस विवादित भूमि को आबादी भूमि के नाम से घोषित कर दी है ऐसा कोई भी वैधानिक अधिकार भी नहीं है।

अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार से जांच प्रतिवेदन मंगाया गया जिसमें तहसीलदार नरवर ने विस्तृत जांच प्रतिवेदन दिनांक 7.3.11 से प्रतिवेदित किया कि ग्राम पंचायत निजामपुर द्वारा पत्र कमांक क्यू/आ0ना0/04 दिनांक 3.6.04 से प्रस्ताव ठहराव कमांक 45 दिनांक 15.8.03 से यह मांग की गई कि सर्वे न0 1306 रकवा 0.32 है0 मरघट एवं सर्वे कमांक 1276/1 रकवा 0.81 है0 कब्रिस्तान अंकित है, परन्तु उक्त भूमि काउपयोग मरघट एवं कब्रिस्तान के रूप में नहीं होता है। अतः इस भूमि की नोईयत परिवर्तन कर आबादी घोषित किया जाये। प्रकरण में विधिवत इश्तहार का प्रकाशन कर आपत्तियां आमंत्रित की गई । इश्तहार पर मुस्लिम समाज के व्यक्तियों के भी हस्ताक्षर हैं । जांच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि विवादित भूमि मेला ग्राउण्ड से लगी हुई है एवं कई वर्षो से कच्चे मकान बनाकर लगभग 12 परिवार निवास कर रहे है। अपर कलेक्टर द्वारा तत्कालीन अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 8/03–04/अ–59 में पारित आदेश दिनांक 26.8.04 से एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 5.8.04 का अनुमोदन किया जाकर निराकरण किया गया है उसी आदेश के तारतम्य में अपर कलेक्टर द्वारा यह आदेश पारित किया जाकर निगरानी निरस्त की है। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम निजामपुर तहसील नरवर में स्थित भूमि सर्वे कमांक 755 बंदोवस्त सर्वे कमांक 1206 पर कुल रकवा 0.1 है पुस्तैनी कब्रिस्तान की भूमि थी। उपरोक्त कब्रिस्तान भूमि के नाम से वैधानिक रूप से दर्ज चला आ रहा है। उनके द्वारा तर्क

में बताया गया है कि आज भी मुस्लिम समाज विवादित भूमि पर काबिज है उक्त कब्रिस्तान की भूमि पर कब्र मजार भी है। जो मुस्लिम समाज द्वारा हर त्यौहार को अपने पूर्वजों के कब्र मजारों पर फतियां एवं अगरवत्तियां लगाने जाते रहते हैं। अंत में उनके द्वारा तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय को शासकीय भूमि को ही परिवर्तित करने का अधिकार होता है। खाना न0 2 में विवादित भूमि पूर्व से दर्ज चली आ रही है, इसे परिवर्तित करने का अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार नहीं था । इस ठोस वैधानिक अधिकार के कारण भी शासकीय या आबादी करने का कोई भी अधिकार नहीं हैं । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क मे यह भी कहा गया है कि म0प्र0 शासन भू–सुधार विभाग भोपाल द्वारा सरक्यूलर पत्र दिनांक 28.2.1982 के सरक्यूलर पत्र में कब्रिस्तान भूमियों के संबंध में वैधानिक स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कब्रिस्तान की भूमि को कब्रिस्तान की ही भूमि के लिये भूमि सुरक्षित रखी जाये, अतः सूचित किया जाता है कि किसी दूसरे कार्य के लिये उपयोग में लेने के लिये परिवर्तित न की जाये। इस ठोस आधार पर भी आवादी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे।

4– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। अनावेदक शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रावधानों से सही है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत निजामपुर द्वारा पत्र कमांक क्यू/आ0ना0/04 दिनांक 3.6.04 से प्रस्ताव ठहराव कमांक 45 दिनांक 15.8.03 से मांग की गई है लेकिन उपरोक्त पत्र कहीं भी अभिलेख में संलग्न नहीं है, **जबकि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी पत्र दिनांक 28.2.1982 है कि कब्रिस्तान की भूमि को कब्रिस्तान की ही भूमि के लिये भूमि सुरक्षित रखी जाये, अतः सूचित किया जाता है कि किसी दूसरे कार्य के लिये उपयोग में लेने के लिये परिवर्तित न की जाये।** इस ओर अपर कलेक्टर द्वारा ध्यान ही आकर्षित नहीं किया है। अतः अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी का

प्रकरण कमांक 50/11–12 में पारित आदेश दिनांक 20.11.14 त्रुटिपूर्ण होने निरस्त किया जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी यह बिन्दु सूक्ष्म जांच करें, कि विवादित भूमि वर्तमान में कब्रिस्तान के उपयोग में लाई जा रही है क्या? कब्रिस्तान के लिये अन्य जगह प्रथक से प्रदाय की गई है वहां वर्तमान में मुर्दो को दफन किया जा रहा है क्या? जिस भूमि पर 12 परिवार ने कच्चे/पक्के मकान का निर्माण कर लिया गया है वह अतिकमण मुक्त की जा चुकी है क्या? उपरोक्त बिन्दुओ की जांच कर आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदाय करते हुये आदेश पारित करें।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर